हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तारीख जारी हुआ

अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो अपने कब्जानुसार इसका उपयोग-उपभोग कर रहे हैं। इस बाबत् घोषणात्मक वाद भी न्यायालय में विचाराधीन है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के पक्षाकार द्वारा अपने कब्जा संबंधि प्रामाणिक दस्तावेज पेश नहीं किये गये है अतः यह स्थापित विधि है, कि जिस व्यक्ति के पास कब्जा नहीं है, वह अस्थाई आदेश प्राप्त नहीं कर सकता। चूंकि उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जो किसी भी प्रकार से संपत्ति को खुर्द-बुर्द करते है. का कोई साक्ष्य सबूत प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है इस प्रकार संपत्ति के immediate अर्थात् अधा-धुत की स्थिति साबित नहीं है। इसीप्रकार रिसीवर नियुक्ति के सिद्धान्तों में यह स्पष्ट वर्णित है कि जहां उसका प्रभाव अप्रार्थीगण को कब्जे से हटाने से होता है, वहां रिसीवर की नियुक्ति करना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी-प्रतिवादी रिसीवर नियुक्ति प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन आदि साबित करने में सफल नहीं हुआ।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार व राजस्थान काश्तकारी अधि 1955 में वर्णित रिसीवर संबंधि सिद्धान्तों व प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 RTAct सपठित आदेश 40 नियम 1-2 व धारा 151 CPC बाबत् खसरा सं० 584 तादादी 13 बीघा 5 बिस्वा की रिसीवर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/6/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नस्थी में कम होकर शामिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner